झारखण्ड सरकार
ऊर्जा विभाग
संकल्प

संकल्प सं०–1/बोर्ड–01–ऊर्जा–26/2013(खण्ड)–277/ रॉंची, दिनांक:–17/02/2022

विषय :– **झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड तथा इसकी अनुषंगी तीन कम्पनियों के निदेशक मंडल के पुनर्गठन के संबंध में।**

ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार के अधिसूचना संख्या–1/बोर्ड–01–ऊर्जा–26/2013(खण्ड)–2164, दिनांक–24.05.2015 के आलोक में झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लि० एवं इसकी अनुषंगी कंपनियों में खुली स्पर्धा से अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, प्रबंध निदेशक तथा निदेशक के विभिन्न पदों को भरे जाने के लिए निर्धारित मापदण्ड/अहर्त्ता/प्रक्रिया, विभिन्न स्तर पर आये संशोधनों के प्रस्ताव तथा इस विषय पर अंतिम निर्णय नहीं लिये जाने की परिस्थिति एवं इसको अंतिम रूप दिये जाने में कुछ समय लगने की स्थिति को देखते हुए तथा कॉरपोरेट शासन प्रणाली के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए तत्काल जबतक कि उक्त सभी पदों को भरे जाने के लिए नये सिरे से अंतिम नियामवली तय नहीं की जाती है, झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लि० तथा इसकी तीन अनुषंगी कंपनियों यथा झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लि, झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लि० एवं झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि० के निदेशक मण्डल का गठन निम्नरूपेण किया जाता है:–

झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लि०	
(क) अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार
(ख) कार्यात्मक निदेशक (Functional Director)	(i) निदेशक(मानव संसाधन) (ii) निदेशक(वित्त)
(ग) अकार्यात्मक निदेशक (Non-Functional Director)	राज्य सरकार के द्वारा नामित प्रतिनिधि (i) वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के प्रतिनिधि(अपर सचिव से अन्यून पदाधिकारी) (ii) ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार के प्रतिनिधि(संयुक्त सचिव से अन्यून पदाधिकारी) (iii) प्रबंध निदेशक, झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लि० (iv) प्रबंध निदेशक, झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लि० (v) प्रबंध निदेशक, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि०
(घ) स्वतंत्र निदेशक	अधिकतम तीन व्यक्ति जिन्हें राज्य सरकार के द्वारा नामित किया जायेगा।

झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लि०	
(क) अध्यक्ष	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार
(ख) कार्यात्मक निदेशक	(i) प्रबंध निदेशक, झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लि०

	(ii) निदेशक(तकनीकी) (iii) निदेशक(वित्त) (iv) निदेशक(परियोजना)
(ग) अकार्यात्मक निदेशक	राज्य सरकार के द्वारा नामित प्रतिनिधि (i) वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के प्रतिनिधि(संयुक्त सचिव से अन्यून पदाधिकारी) (ii) ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार के प्रतिनिधि(संयुक्त सचिव से अन्यून पदाधिकारी) (iii) प्रबंध निदेशक, झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लि० (iv) प्रबंध निदेशक, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि०
(घ) स्वतंत्र निदेशक	अधिकतम तीन व्यक्ति जिन्हें राज्य सरकार के द्वारा नामित किया जायेगा।

झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लि०	
(क) अध्यक्ष	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार
(ख) कार्यात्मक निदेशक	(i) प्रबंध निदेशक, झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लि० (ii) निदेशक(संचालन) (iii) निदेशक(वित्त) (iv) निदेशक(परियोजना)
(ग) अकार्यात्मक निदेशक	राज्य सरकार के द्वारा नामित प्रतिनिधि (i) वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के प्रतिनिधि(संयुक्त सचिव से अन्यून पदाधिकारी) (ii) ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार के प्रतिनिधि(संयुक्त सचिव से अन्यून पदाधिकारी) (iii) प्रबंध निदेशक, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि० (iv) प्रबंध निदेशक, झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लि०
(घ) स्वतंत्र निदेशक	अधिकतम तीन व्यक्ति जिन्हें राज्य सरकार के द्वारा नामित किया जायेगा।

झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि०	
(क) अध्यक्ष	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार
(ख) कार्यात्मक निदेशक	(i) प्रबंध निदेशक, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि० (ii) निदेशक(वितरण एवं परियोजना) (iii) निदेशक(वित्त) (iv) निदेशक(वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखा)
(ग) अकार्यात्मक निदेशक	राज्य सरकार के द्वारा नामित प्रतिनिधि (i) वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के प्रतिनिधि(संयुक्त सचिव से अन्यून पदाधिकारी) (ii) ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार के प्रतिनिधि(संयुक्त सचिव से

	अन्यून पदाधिकारी) (iii) प्रबंध निदेशक, झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लि० (iv) प्रबंध निदेशक, झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लि०
(घ) स्वतंत्र निदेशक	अधिकतम तीन व्यक्ति जिन्हें राज्य सरकार के द्वारा नामित किया जायेगा।

ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार/वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार यथा सम्भव एक महिला पदाधिकारी जो अहर्त्ता पूरी करती हों, को निदेशक के रूप में नियुक्त करने पर प्राथमिकता देगी। महिला पदाधिकारी की अनुपलब्धता की स्थिति में प्रशासी विभाग स्वतंत्र निदेशक के रूप में महिला निदेशक को रखे जाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार का आदेश प्राप्त करेगी।

2. प्रबंध निदेशक/अकार्यात्मक/कार्यात्मक/स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति – उपरोक्त कंडिका–1 के आलोक में जबतक विभिन्न पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया/अहर्त्ता निर्धारित नही होती है तब तक इन पदों पर नियुक्ति करने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगीः–

(i) प्रबंध निदेशक – भारतीय प्रशासनिक सेवा(IAS)/भारतीय वन सेवा(IFS) /केन्द्रीय सिविल सेवा के पदाधिकारी जो राज्य सरकार के अधीन कार्यरत हों तथा राज्य अभियंत्रण सेवा/ तत्कालीन झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड सम्प्रति झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लि० एवं इसके तीन अनुषंगी कंपनियों सहित के नियमित प्रोन्नत महाप्रबंधक स्तर से अन्यून पदाधिकारी(जो विद्युत प्रक्षेत्र में कार्य अनुभव रखते हों) को सरकार सीधे नियुक्त कर सकेगी।

(ii) निदेशक(मानव संसाधन) – अखिल भारतीय सेवा/राज्य प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी जो उप सचिव/संयुक्त सचिव(क्रमशः) से अन्यून होंगे, को राज्य सरकार नियुक्त कर सकेगी।

(iii) निदेशक(वित्त) – झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लि० एवं इसके अनुषंगी कंपनियों में नियमित रूप से प्रोन्नत उप महाप्रबंधक(वित्त) स्तर के पदाधिकारी जिन्होंने पाँच वर्षों की सेवा उप महाप्रबंधक(वित्त) के रूप में पूरी कर ली हों/महाप्रबंधक(वित्त)/कार्यकारी निदेशक(वित्त) तथा राज्य वित्त सेवा के संयुक्त आयुक्त से अन्यून पदाधिकारी एवं केन्द्रीय वित्त सेवा के समकक्ष पदाधिकारी पात्र होंगे। सेवानिवृत्ति की स्थिति में, सेवानिवृत्ति की तिथि से दो वर्षों तक पात्रता की अवधि मानी जाएगी।

(iv) अन्य कार्यात्मक निदेशक यथा निदेशक(तकनीकी/परियोजना/संचालन/वितरण एवं परियोजना/वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखा) – इन पदों पर नियुक्ति के लिए झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लि० एवं इसके अनुषंगी कंपनियों में नियमित रूप से प्रोन्नत विद्युत अधीक्षण अभियंता(समकक्ष अभियंता) स्तर के पदाधिकारी जो इस पद पर न्यूनतम दो वर्षों की सेवा पूर्ण किये हों/महाप्रबंधक/कार्यकारी निदेशक(कार्यरत/सेवानिवृत्त) पात्र होंगे। सेवानिवृत्ति की स्थिति में, सेवानिवृत्ति की तिथि से दो वर्षों तक पात्र माने जायेंगे। अखिल भारतीय सेवा/केन्द्रीय सिविल सेवा के पदाधिकारी जो राज्य सरकार के अधीन कार्यरत हों, को सरकार सीधे नियुक्त कर सकेगी।

(v) स्वतंत्र निदेशक – कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 के अंतर्गत झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लि० एवं इसके अनुषंगी कंपनियों में आवश्यकतानुसार राज्य सरकार स्वतंत्र

निदेशक की नियुक्ति कर सकेगी। स्वतंत्र निदेशक को आर्थिक भत्ता के रूप में मात्र बोर्ड बैठक में भाग लेने हेतु सीटिंग शुल्क, जो संबंधित निगम के निदेशक मंडल के द्वारा निर्धारित किया जाएगा, देय होगा।

(vi) उक्त कंडिकाओं (ii), (iii), (iv) एवं (v) में वर्णित पदों पर नियुक्ति के लिए अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग की अध्यक्षता में एक समिति होगी जिसमें कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार एवं वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के प्रतिनिधि(संयुक्त सचिव से अन्यून) सदस्य होंगे। यह समिति उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन प्राप्त कर सुयोग्य पात्रों को चिन्हित करते हुए प्रत्येक पद के लिए तीन नामों की अनुशंसा राज्य सरकार को करेगी। इस अनुशंसा के क्रम में निम्न Parameters of Recommendation का ध्यान रखा जायेगाः–

"Outstanding merit, competence, absolute intergrity and specific suitability for the post".

(vii) अध्यक्ष/अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक :– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार पदेन अध्यक्ष/अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक होंगे।

(viii) अन्य अकार्यात्मक निदेशक :– संबंधित विभाग(ऊर्जा विभाग/वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार) के द्वारा अन्य अकार्यात्मक निदेशक के रूप में नामित/प्राधिकृत किया जाएगा।

(ix) उक्त कंडिकाओं (ii), (iii), (iv) एवं (v) में वर्णित पदों पर नियुक्त पदाधिकारियों की सेवा अधिकतम दो वर्षों के लिए अथवा पूर्व की संकल्प/अधिसूचना में वांछित संशोधनोपरांत बनने वाली अंतिम नियामवली के आधार पर नियुक्ति नहीं हो जाती है, जो भी पहले हो, होगी।

3. प्रबंध निदेशक/अकार्यात्मक/कार्यात्मक/स्वतंत्र निदेशक को पद से हटाने की प्रकियाः–

(क) अन्य अकार्यात्मक निदेशक :– संबंधित विभाग(ऊर्जा विभाग/वित्त विभाग, झारखण्ड) के द्वारा कंपनी हित में पदमुक्त किया जा सकेगा।

(ख) प्रबंध निदेशक/कार्यात्मक/स्वतंत्र निदेशकः– इन पदों के पदधारकों को सकल कदाचार/गबन/ कंपनी के हितों के विरूद्ध आचरण/ कंपनी के आर्थिक हितों के आलोक में अध्यक्ष/ अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के द्वारा कृत कारण सहित अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार के द्वारा तत्काल प्रभाव से पदच्यूत किया जा सकेगा।

4. कार्यात्मक निदेशक का वेतनमानः– इन पदों पर नियुक्त पदाधिकारियों को वेतन संरक्षण(Pay Protection) का लाभ दिया जाएगा। साथ ही सेवानिवृत्त पदाधिकारियों के मामलों में वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के नियम प्रभावी होंगे।

5. इस संकल्प के निर्गत होने की तिथि से पूर्व झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड तथा इसकी अनुषंगी कम्पनियों यथा; झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड, झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड तथा झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड में पदस्थापित/नियुक्त अध्यक्ष/अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक की व्यवस्था इस संकल्प से प्रभावित नहीं होंगी।

6. झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड तथा इसकी अनुषंगी कम्पनियों यथा; झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड, झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड तथा झारखण्ड

बिजली वितरण निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल के पुनर्गठन एवं इन कंपनियों में कार्यात्मक निदेशक(Functional Director) एवं गैर कार्यात्मक निदेशक(Non Functional Director) की नियुक्ति के संबंध में पूर्व के निर्गत सभी संकल्प/अधिसूचना को इस हद तक संशोधित किया जाता है।

तदनुसार झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड तथा इसकी अनुषंगी कम्पनियों के ऑर्टिकल ऑफ एसोसिएशन(AoA)/मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन(MoA) में आवश्यक संशोधन करने की कार्रवाई ऊर्जा विभाग द्वारा की जाएगी।

उक्त कंडिका–1 से 6 पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक–10.02.2022 को मद सं०–65 में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण के सूचनार्थ आगामी झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के ओदश से,

ह०/–

(अविनाश कुमार)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–1/बोर्ड–01–ऊर्जा–26/2013(खण्ड)–................../ राँची, दिनांकः–........................

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को राज्य के गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ/ संयुक्त सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी ई–गजट, ऊर्जा विभाग, राँची को ई–गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/–

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–1/बोर्ड–01–ऊर्जा–26/2013(खण्ड)–277/ राँची, दिनांकः–17/02/2022

प्रतिलिपिः– राज्यपाल के प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची/ मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/ मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/ सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/2

सरकार के प्रधान सचिव।